न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामां जिला डीग

इजलास श्री कैलाश चन्द गुर्जर आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी कामां

प्रकरण नं0 11/2022

1 मोहन
2 देवीराम पिसरान भीम जाति ठाकुर निवासी कनवाडी तहसील कामां जिला डीग

प्रार्थी

बनाम

1- गुड्डी पत्नी सुरेश जाति ठाकुर निवासी कनवाडी तहसील कामां जिला डीग
2- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, कामां (डीग) राजस्थान

अप्रार्थी

अन्तर्गत धारा 251ए आर0टी0एक्ट

उपस्थित अधिवक्ता
1- श्री बाबूलाल प्रार्थी अधिवक्ता
2- श्री बृजलाल अप्रार्थी अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 15.02.2024

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 36/0.35 हैक्ट0 प्रार्थीगण व उनके सहखातेदारान ओमप्रकाश छज्जू और रामवती हैं । जिनमें से रामवती प्रार्थीगण की मां व वडा भाई ओमप्रकाश फौत हो गये है । ओमप्रकाश के वारिसान में पत्नी माया पुत्र शंकर व विष्णु एवं लडकी भगवती, लज्जा व भावना है । पुत्रीया भगवती, लज्जा व भावना की शादी हो चुकी है व अपनी अपनी सुसराल में है पुत्र शंकर व विष्णु व पत्नी माया वक्त दर0 पेश करते समय घर पर मौजूद नहीं है । इसलिए उनको पक्षकार नहीं बनाया है । परन्तु आराजी मुतदाविया मे वे वाहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार हैं, परन्तु मौके पर ब्राहमी बंटवारे में आराजी खसरा नम्बर 36 प्रार्थीगण के हिस्से में आयी है । रामवती के वारिसान पूर्व से ही खातेदार है इसलिए उनका हिस्सा अपने वारिसान को ही जावेगा । छज्जू आंखों से अधा व चलने फिरने में असमर्थ है । इसलिए उनके ओर से प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है ।

आराजी खसरा नम्बर 37/0.19 हैक्ट वाके ग्राम कनवाडी तहसील कामां में स्थित है ।जिसकी अप्रार्थी गुड्डी पत्नी सुरेश जाति ठाकुर निवासी कनवाडी खातेदार काश्तकार हैं । जिसके पूरव में सडक पक्की कनवाडी से महराना को बनी हुई है । खसरा नम्बर 37 के पश्चिम में प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 36 है । जिसमें आने जाने को कोई रास्ता नहीं है । चूंकि अन्य दिशाओं मे भी आराजीयात अन्य लोगों की है । आराजी खसरा नम्बर 36 पर जाने के लिए खसरा नम्बर 37 में होकर ही आना जाना पडता है । अन्य कोई रास्ता नहीं है । इसलिए प्रार्थीगण हमेशा से खसरा नम्बर 37में जो नक्शे में सुर्ख रंग से दर्शाया गया है उसी जगह से आते जाते रहे है अब अप्रार्थी अपनी आराजी में से होकर जाने से रोकती है । इसलिए मुताबिक नक्शा 15 फीट चौडा रास्ता आराजी खसरा नम्बर 37 में व तरफ उत्तर दिशा में प्रार्थीगण चाहते हैं जिसमे होकर खेत जोतने बोने व फसल लाने के लिए उपयोग में रहेगा । नक्शा उत्तर दिशा में 15 फीट चौडा व पूरव से पश्चिम दिशा तक रास्ता राजस्व रिकार्ड कायम कराना चाहते है । जिसके प्रति उत्तर में प्रार्थीगण मुताबिक नक्शा विधिनुसार रकम जमा कराने को तैयार है । यदि प्रार्थी जोत के बदले जोत लेना चाहती है तो प्रार्थीगण अपनी आराजी खसरा नम्बर 36 में से खसरा नम्बर 37 के लगवा देने को तैयार है ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलव किया गया । अप्रार्थीगण की ओर अधिवक्ता उपस्थित आया । जबाव पेश किया कि मोहन व देवीराम ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर0टी0एक्ट0 का पेश किया है इस वर्णित आराजी खसरा नम्बर 36/0.35 के सहखातेदारान की तरफ से प्रतिनिधित्व वाद पत्र के स्वरूप में पेश किया है जिसके लिए प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व हस्व आदेश 1 नियम 8 के तहत न्यायालय से अनुमति लेना आवश्यक है । परन्तु प्रार्थीगण मोहन व देवीराम ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व न्यायालय से कोई अनुमति प्राप्त नहीं की है जिसके अभाव में प्रार्थना पत्र 251 ए काबिले खारिजी है । आराजी खसरा नम्बर 37 के पूर्व दिशा में सडक पक्की

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज0

नवाडी से महराना बनी होना एवं उसके पश्चिम में खसरा नम्बर 36 का होना तो स्वीकार है परन्तु शेष जबूत कतई गलत है स्वीकार नहीं है । प्रार्थीया को मुझ प्रार्थीया की खातेदारी के खसरा नम्बर 37 में किर कोई रास्ता कायम कराने का अधिकारी नहीं है । प्रार्थीगण मुझ ग्रामीण अशिक्षित महिला को नाजायज रूप से तंग व परेशान करने के उद्देश्य से फिजूल खर्च की गई है ।

आराजी खसरा नम्बर 36 के साथ साथ आराजी खसरा नम्बर 38 ओमप्रकाश पुत्र भौरा छज्जू पुत्र भौरा, देवीराम पुत्र भौरा, मोहन पुत्र भौरा रामवती पत्नी भौरा की खातेदारी का रकवा है । खसरा नम्बर 38 भी प्रार्थीगण व उसके परिवारीजन की खातेदारी रकवा है जो कि कनवाडी से महराना जाने वाली पक्की सडक से सटा हुआ जिसमें होकर प्रार्थीगण को खसरा नम्बर 36 में आने जाने के लिए रास्ता मौजूद है । प्रार्थीगण को नया रास्ता कायम कराने का अधिकार नहीं है । इसलिए प्रार्थना पत्र काबिले खारिजी है

अप्रार्थी नं0 2 तहसीलदार कामां की रिपोर्ट प्राप्त हुई कि खसरा नम्बर 37 रकवा 0.19 हैक्टर के मुताबिक जमाबन्दी सं0 2074–77 के गुड्डी पत्नि सुरेश जाति ठाकुर निवासी कनवाडी के नाम दर्ज रिकार्ड है । जो कनवाडा महराना उत्तर प्रदेश की सीमा को जाने वाले रास्ते से सटा हुआ है । जिसके पश्चिम में आराजी खसरा नम्बर 36 रकवा 0.35 हैक्टर है मुताबिक जमाबन्दी सं0 2074–2077 के ओमप्रकाश, छज्जू, देवीराम, मोहन पिसरान भैंरा व रामवती पत्नि भौरा जाति ठाकुर निवासी कनवाडी दर्ज रिकार्ड है । आराजी खसरा नम्बर 36 के खातेदारान आरजी खसरा नम्बर 37 में से होकर रास्ता लेने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है मौका नजरी नक्शा सलग्न है । आराजी खसरा नम्बर 37 से आराजी खसरा नम्बर 36 मे जाने के लिए मौके पर आदिनांक तक कोई कदीमी रास्ता नहीं है । आराजी खसरा नम्बर 36 व 38 समान खातेदार है एवं आराजी खसरा नम्बर 38 रास्ते से लगा हुआ है । जिसमें से होकर ही आराजीखसरा नम्बर 36 37, 38 में वर्तमान में मौके पर फसल खडी हुई है । खसरा नम्बर 36 में जाने के लिए स्वंय वादी मोहन देवीराम पिसरान भौरा की स्वंय की आराजी का खसरा नम्बर 38 है ऐसी स्थिति में आराजी खसरा नम्बर 37 से रास्ता दिया उचित प्रतीत नहीं होता है ।

प्रार्थी ने अपना प्रार्थना पत्र साबित करने के लिए जमाबन्दी सं0 2074–2077नकल नक्शा ट्रेस ग्राम कनवाडी खसरा नम्बर 36, 37, 38, 40 व नक्शा ब्लू प्रिंट पेश किया है ।

प्रकरण में पक्षकारान की बहस सुनी गयी । प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी प्रार्थना पत्र में लिखित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि आराजी खसरा नम्बर 37/0.19 हैक्ट वाके ग्राम कनवाडी तहसील कामां में स्थित है। जिसकी अप्रार्थी गुड्डी पत्नी सुरेश जाति ठाकुर निवासी कनवाडी खातेदार काश्तकार हैं । जिसके पूरव में सडक पक्की कनवाडी से महराना को बनी हुई है । खसरा नम्बर 37 के पश्चिम में प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 36 है । जिसमें आने जाने को कोई रास्ता नहीं है । चूंकि अन्य दिशाओं मे भी आराजीयात अन्य लोगों की है । आराजी खसरा नम्बर 36 पर जाने के लिए खसरा नम्बर 37 में होकर ही आना जाना पडता है । अन्य कोई रास्ता नहीं है । इसलिए प्रार्थीगण हमेशा से खसरा नम्बर 37में जो नक्शे में सुर्ख रंग से दर्शाया गया है उसी जगह से आते जाते रहे है अब अप्रार्थी अपनी आराजी में से होकर जाने से रोकती है । इसलिए मुताबिक नक्शा 15 फीट चौडा रास्ता आराजी खसरा नम्बर 37 में व तरफ उत्तर दिशा में प्रार्थीगण चाहते हैं जिसमे होकर खेत जोतने बोने व फसल लाने के लिए उपयोग में रहेगा । नक्शा उत्तर दिशा में 15 फीट चौडा व पूरव से पश्चिम दिशा तक रास्ता राजस्व रिकार्ड कायम कराना चाहते है । जिसके प्रति उत्तर में प्रार्थीगण मुताबिक नक्शा विधिनुसार रकम जमा कराने को तैयार है । यदि प्रार्थी जोत के बदले जोत लेना चाहती है तो प्रार्थीगण अपनी आराजी खसरा नम्बर 36 में से खसरा नम्बर 37 के लगवा देने को तैयार है ।

अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में अपनी लिखित जबाब के तथ्यों को दोहराया कि आराजी खसरा नम्बर 36 के साथ साथ आराजी खसरा नम्बर 38 ओमप्रकाश पुत्र भौरा छज्जू पुत्र भौरा, देवीराम पुत्र भौरा, मोहन पुत्र भौरा रामवती पत्नी भौरा की खातेदारी का रकवा है । खसरा नम्बर 38 भी प्रार्थीगण व उसके परिवारीजन की खातेदारी रकवा है जो कि कनवाडी से महराना जाने वाली पक्की सडक से सटा हुआ जिसमें होकर प्रार्थीगण को खसरा नम्बर 36 में आने जाने के लिए रास्ता मौजूद है । प्रार्थीगण को नया रास्ता कायम कराने का अधिकार नहीं है । इसलिए प्रार्थना पत्र काबिले खारिजी है । नजीर आर0 आर0 डी0 2002 के पेज नं0 749 रामा बनाम मेघा अन्य की पेश की है । तहसीलदार कामां के पत्रांक/राजस्व /173 दिनांक 15.2.2023 के द्वारा । आराजी खसरा नम्बर 37 से आराजी खसरा नम्बर 36 में जाने के लिए मौके पर आदिनांक तक कोई कदीमी रास्ता नहीं है । आराजी खसरा नम्बर 36 व 38 समान खातेदार है एवं आराजी खसरा नम्बर 38 रास्ते से लगा हुआ है । जिसमें से होकर ही आराजीखसरा नम्बर 36 37, 38 में वर्तमान में मौके पर फसल खडी हुई है । खसरा नम्बर 36 में जाने के लिए स्वंय वादी मोहन देवीराम पिसरान भौरा की स्वंय की आराजी का खसरा नम्बर 38 है । ऐसी स्थिति में आराजी खसरा नम्बर 37 से रास्ता दिया उचित प्रतीत नहीं होता है ।

उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर) राज.

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पक्षकारान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं तहसीलदार कामां की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया । प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 36 में जाने के लिए खसरा नम्बर 37 में से 15 फीट चौडा रास्ता चाहा है । जो अप्रार्थी गुड्डी पत्नि सुरेश जाति ठाकुर निवासी कनवाडी का है । तहसीलदार कामां की रिपोर्ट में भी अवगत कराया है कि खसरा नम्बर 37 जो कनवाडी से महराना जाने वाली सडक से सटा हुआ है । खसरा नम्बर 36 में जाने के लिए कोई कदीमी रास्ता नहीं है । कनवाडी से महराना जाने वाली सडक से प्रार्थीगण की खातेदारी का खसरा नम्बर 38 है जिसमें से रास्ता लिया जा सकता है । ऐसी स्थिति में खसरा नम्बर 37 में से रास्ता लिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है । प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश दिया जाता है कि खसरा नम्बर 37 जो कनवाडी से महराना जाने वाली सडक से सटा हुआ है । खसरा नम्बर 36 में जाने के लिए कोई कदीमी रास्ता नहीं है । कनवाडी से महराना जाने वाली सडक से प्रार्थीगण की खातेदारी का खसरा नम्बर 38 है । जिसमें से रास्ता लिया जा सकता है । ऐसी स्थिति में खसरा नम्बर 37 में से रास्ता लिया जाना सकता है । प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट को खारिज किया जाता है । प्रकरण नम्बर से कम हो कर बाद तकमील तामील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 15.2.2024 को खुले न्यायालय पढकर सुनाया गया ।

(कैलाश चन्द गुर्जर)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,कामां (डीग

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज०